न्यायालय तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायायाधीश–सह–
विशेष न्यायाधीश,
(एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट) , भागलपुर।

spl Com Case No.- 20/ 2021

20-08-2022 परिवादी के अधिवक्ता द्वारा हाजरी दी गई अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया अभिलेख का अवलोकन किया गया अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है की प्रस्तुत वाद परिवादनी कौशल्या देवी के द्वारा दिनांक 26.03.2021 को एक परिवाद पत्र दायर किया गया उक्त वाद में नामांकित छः अभियुक्तगण कमशः 1. धर्मेन्द्र ठाकुर 2. गीता देवी 3. श्याम सुन्दर सिंह ए0स0आई0 थाना सजौर 4. विजय शंकर तिवारी 5. योगेन्द्र प्रसाद सिंह 6. जयेन्द्र प्रसाद सिंह सैफ जवान क विरूद्ध धारा 166, 448, 148, 452, 323, 354बी, 120बी भा0 द0 वि0 एवं 3 (1) (i) (r) (s) एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत एक परिवाद पत्र दायर किया गया है परिवादनी का उक्त वाद में दिनांक 08.03.2022 को शपथ पर ब्यान दर्ज किया गया परिवादनी ने अपने परिवाद पत्र के समर्थन मे तीन गवाहो का जॉच साक्ष्य कराया साक्षी संख्या 1.अंकज पासवान 2. गीता देवी 3. सुनिल कुमार पासवान का परिक्षण कराया गया परिवाद पत्र परिवादनी के शपथ पर ब्यान एवं जॉच साक्षीयो के साक्ष्य के अवलोकन के उपरान्त में परिवाद पत्र मे नामांकित छः अभियुक्तो मे तीन अभियुक्तगण कमशः 1. विजय शंकर तिवारी 2. योगेन्द्र प्रसाद सिंह 3. जयेन्द्र प्रसाद सिंह सैफ जवान को छोड़कर शेष तीन अभियुक्तगण कमशः 1. धर्मेन्द्र ठाकुर 2. गीता देवी 3. श्याम सुन्दर सिंह ए0स0आई0 थाना सजौर जोकी एक सरकारी पुलिस है इन्होने भी परिवादनी को मारा पीटा और जाति सुचक गाली भी दिया जो एक सरकारी सेवक के कार्य क्षेत्र के अर्न्तगत नही आता है इसलिये इनके विरूद्ध धारा 448, 148, 452, 323, 325, 34 भा0 द0 वि0 एवं 3 (1) (r) (s)/ 3 (2) (va) एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत अन्तर्गत प्रथत दृष्टया मामला पाता हूँ तथा सम्मन करने का पर्याप्त आधार है।

कार्यालय लिपिक परिवादनी के आपेक्षित दाखिल करने पर उक्त तीनो अभियुक्तो के विरूद्ध सम्मन जारी करे।

दिनांक23.09.2022 वास्ते उपस्थिति हेतु।

लेखापित

20/8/22

वि0 न्या0
एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट) ,
भागलपुर।